भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं./No. 2018-B-375

नई दिल्ली, दिनांक/New Delhi, dated 27.02.2019

सचिव, रेलवे बोर्ड/The Secretary, Railway Board.

विषय:- मांग सं. 80- रेल मंत्रालय - मुख्य शीर्ष 3075 – अन्य परिवहन सेवाएं - उप मुख्य शीर्ष 60 - अन्य के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम अनुदान।

Sub: - Final Grant for 2018-19 under Demand No. 80 –Ministry of Railways – Major Head – 3075 Other Transport Services – Sub Major Head 60 – Others.

मांग सं. 80 - रेल मंत्रालय के मुख्य शीर्ष 3075 – अन्य परिवहन सेवाएं के अंतर्गत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोरपोरशन द्वारा रेलवे यात्रियों के लिए 10.12.2016 से 31.08.2018 तक भुगतान किये गए बीमा प्रीमियम की 47 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृत भाग के अंतर्गत 1.00 लाख रुपये की सांकेतिक अनुदान की पूरक मांग ली गई है. अनुदान की पूरक मांगों से सम्बंधित प्रपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं.

A token Supplementary Demand for Grant of Rs. 1.00 lakh has been obtained under Voted portion under Major Head 3075 – Other Transport Services of Demand No. 80-Ministry of Railways for meeting expenditure towards re-imbursement of Rs.47 cr of insurance premia paid by Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) from 10.12.2016 to 31.08.2018 in respect of Railway Passengers. The papers leading to obtaining of this Grant are enclosed.

मांग सं. 80 - रेल मंत्रालय - मुख्य शीर्ष 3075 – अन्य परिवहन सेवाएं - उप मुख्य शीर्ष 60 - अन्य के अंतर्गत अंतिम अनुदान 2018-19 नीचे दर्शाया गया है ।

The Final Grant 2018-19 under Demand No. 80 – Ministry of Railways – Major Head - 3075 – Other Transport Services – Sub Major Head 60 – Others - is indicated as under: -

(हजार रूपयों में/ Figure in thousands of Rupees)

लघु शीर्ष /Minor Head	अंतिम अनुदान/Final Grant 2018-19
102- सामरिक दृष्टि की रेलवे लाइनों के परिचालन में हानि की प्रतिपूर्ति Re-imbursement of losses on operation of strategic Railway Lines	1940,00,00
800 - अन्य व्यय/ Other Expenditure (क) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कारपोरशन को ई - टिकटिंग की परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति (a) Re- imbursement of operational cost on e-ticketing to Indian Railway Catering and Tourism Corporation.	88,00,00
(ख) रेलवे यात्रियों के लिए 10.12.2016 से 31.08.2018 तक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कारपोरशन द्वारा भुगतान किये गए बीमा प्रीमियम (47 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति. (b) Reimbursement of insurance premia paid by Indian Railway Catering and Tourism Corporation from 10.12.2016 to 31.08.2018 in respect of Railway passengers.	47,00,00
जोड़/Total	**2075,00,00**

(अजय उपाध्याय/Ajay Upadhyay)
संयुक्त निदेशक वित्त (बजट)/Joint Director, Finance(Budget)
रेलवे बोर्ड/ Railway Board

सं./No. 2018-B-375 **नई दिल्ली, दिनांक/New Delhi, dated 27.02.2019**

प्रतिलिपि/Copy to: -

1. प्रधान वित्त सलाहाकर, उत्तर रेलवे/The Principal Financial Adviser, Northern Railway.
2. लेखा परीक्षा निदेशक, उत्तर रेलवे/Director of Audit, Northern Railway.
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेलवे बोर्ड/The Pay and Accounts Officer, Railway Board.

(अजय उपाध्याय/Ajay Upadhyay)
संयुक्त निदेशक वित्त (बजट)/Joint Director, Finance(Budget)
रेलवे बोर्ड/ Railway Board

प्रतिलिपि : लेखा-I (संकलन) एवं लेखा-I (विनियोग) शाखाएं रेलवे बोर्ड.
Copy to: - Accounts-I (Compilation) and Accounts-I (Appropriation) Branches, Railway Board.

सं./No. 2018-B-375 **नई दिल्ली, दिनांक/New Delhi, dated 27.02.2019**

प्रतिलिपि : उप महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलवे). कमरा न. 224, रेल भवन, रायसीना रोड़, नई दिल्ली.
Copy to: The Deputy Controller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi

कृते वित्त आयुक्त (रेलवे)/ For Financial Commissioner (Railways)

प्रतिलिपि/Copy to :

1. अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), का. नि. जनशिकायत, का. नि. यात्री विपणन एवं का. नि. (पीएसयू एवं एच एस), रेलवे बोर्ड
AM(T&C), EDPG, EDPM and EDPSU&HS, Railway Board.
2. चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोरपोरशन
The Chairman & Managing Director, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), New Delhi